



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2013]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2013/भाद्र 5, 1935

No. 2013]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2013/BHADRA 5, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

का.आ. 2617(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2013 को विनिर्दिष्ट करती है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के प्रावधान भारतीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने से राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड पर लागू होंगे एवं कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा सं. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 205 के बाद उससे संबंधित प्रविष्टियों पर निम्नलिखित क्रम सं. एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	निगम/सोसाइटी/अन्य प्राधिकरण	स्थिति
1	2	3
"206.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

[फा. सं. पी-13030/1/2012-एटी]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 730(अ) दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई एवं इसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई :—

- सा.का.नि. 1172(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 1986
- सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987
- सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1987
- सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 11 जुलाई, 1995
- सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 1998
- सा.का.नि. 8 (अ), दिनांक 4 जनवरी, 2002
- सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2006
- का.आ. 1228(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2007
- का.आ. 1823(अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 2007
- का.आ. 906(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008
- का.आ. 2580(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2008
- का.आ. 2824(अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 2008
- का.आ. 727(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010
- का.आ. 2411(अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2010
- का.आ. 958(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2013